


# न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.



प्रकरण सं० : 101/2016

अनवान :

1. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद जाति कुम्हार निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

## बनाम

1. गोपालकृष्ण
  2. रमेश कुमार
  3. भजनलाल
- } पि० चुन्नीलाल जाति ब्राह्मण निवासी उत्तरादाबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. इन्द्रसिंह पुत्र श्योचन्द जाति कुम्हार निवासी उत्तरादाबास तहसील भादरा।
  5. सुभाष चन्द पुत्र झीन्दूराम जाति यादव नि० चक भोजासर तहसील भादरा।
  6. मकसूद अली पुत्र हाजी महबूब अली जाति कायमखानी नि० भादरा।
  7. मालती पत्नी हीरालाल जाति ब्राह्मण नि० नेठराना तह० भादरा।
  8. रामसिंह पुत्र मेहरचन्द जाति जाट नि० छानीबडी तहसील भादरा।
  9. गुलाब पत्नी शिवकुमार जाति ब्राह्मण नि० गांधी बडी तह० भादरा।
  10. मायापति पत्नी राजेश जाति ब्राह्मण नि० भोजासर तह० भादरा।
  11. सुनिल कुमार पुत्र दीपचन्द जाति जाट नि० भोजासर तह० भादरा।
  12. कृष्ण कुमार पुत्र रामकुवांर जाति ब्राह्मण नि० नेठराना तह० भादरा।
  13. सुनिल कुमार पुत्र नत्थूराम जाति खाती नि० उत्तरादाबास तह० भादरा।
  14. अरविन्द कुमार
  15. मुकेश कुमार
- } पि० करणीसिंह जाति जाट नि० गांधीबडी तहसील भादरा।
16. इन्दुबाला पत्नी राकेश जाति ब्राह्मण नि० गांधीबडी तहसील भादरा।
  17. बिशनाराम पुत्र सुरजाराम जाति स्वामी नि० बरवाली तह० नोहर।
  18. पियरेन्द्रसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट नि० चक चिड़िया गांधी।
  19. प्रयागचन्द पुत्र जगनाराम जाति सुनार नि० भादरा तहसील भादरा।
  20. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वर्काल श्री विनोद सिंगाठिया : वादी

निर्णय

दिनांक : 05-03-2019

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाद व प्रतिवादीगण के नाम चक 7 वीएवडी के खाता सं० 66/44 के मु०नं० 11 के किला नं० 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 की 2.530 है० मु०नं० 12 के किला नं० 4 की 0.253 है० जिसमें से नहरी 0.228 है० गैरमुमकिन खाला 0.025 है०, किला नं० 5 की 0.253 है० जिसमें से नहरी 0.202 है० गैरमुमकिन खाला 0.051 है० किला नं० 6 की 0.253 है० जिसमें से नहरी 0.228 है० गैरमुमकिन खाला 0.025 है० किला नं० 7 की 0.253 है० किला नं० 14 की 0.253 है०

किला नं० 15 की 0.253 है० जिसमें से नहरी 0.228 है० गैरमुमकिन खाला 0.025 है०  
 किला नं० 16 की 0.253 है० जिसमें से नहरी 0.228 है० गैरमुमकिन खाला 0.025 है०  
 किला नं० 17 की 0.253 है० किला नं० 24 की 0.253 है० किला नं० 25 की 0.253 है०  
 जिसमें से नहरी 0.228 है० गैरमुमकिन खाला 0.025 है० की कुल नहरी 2.354 है०  
 गैरमुमकिन खाला 0.176 है० तथा मु०नं० 25 के किला नं० 4 की 0.253 है० जिसमें से गैर  
 मुमकिन रास्ता 0.013 है० नहरी 0.240 है० किला नं० 5 की 0.253 है० जिसमें से गैर  
 मुमकिन रास्ता 0.013 है० नहरी 0.240 है०, किला नं० 6 की 0.253 है० किला नं० 7 की  
 0.253 है० किला नं० 14 की 0.253 है० किला नं० 15 की 0.253 है० कुल 1.518 है०  
 जिसमें नहरी 1.492 है० गैरमुमकिन रास्ता 0.026 है० मु०नं० 26 के किला नं० 1 की 0.253  
 है० जिसमें गैर मुमकिन रास्ता 0.013 है० नहरी 0.240 है० किला नं० 10 की 0.253 है०  
 कुल नहरी 0.493 है० गैरमुमकिन रास्ता 0.013 है० खाते का कुल योग 7.084 है० जिसमें  
 से नहरी 6.869 है० गैरमुमकिन रास्ता 0.039 है०, गैरमुमकिन खाला 0.176 है० राजस्व  
 रिकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज है।

वादी एव प्रतिवादी के संयुक्त खाता की कृषि भूमि चक नं० 7 बीएचडी के  
 खाता सं० 66/44 वादी के नाम 100 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं० 1 ता 3 के नाम 40  
 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 4 के नाम 0.019 है, प्रतिवादी सं० 5 के नाम 0.439 है०, प्रतिवादी  
 सं० 6 के नाम 60 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 7 ता 11 के नाम संयुक्त रूप से 0.0975 है०  
 बहिस्सा बराबर और प्रतिवादी सं० 12 के नाम 0.0160 है० और प्रतिवादी सं० 13 के नाम  
 0.0160 है० प्रतिवादी सं० 14 व 15 के नाम 0.0160 है० प्रतिवादी सं० 16 के नाम 0.0520  
 है० प्रतिवादी सं० 17 के नाम 0.0325 है० और प्रतिवादी सं० 18 के नाम 0.0710 है० और  
 प्रतिवादी सं० 19 के नाम 300 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि दिनांक 15.10.1981 को सावित्री देवी पत्नी  
 गोपीराम सुनार से जरिये बैयनामा खरीद की थी। उक्त बैयनामों के मुताबिक सावित्री देवी  
 द्वारा नहरी को मु०नं० 11 के किला नं० 1, 2 की एक एक बीघा, किला नं० 9 व 10 की  
 5-5 बिस्वा, मु०नं० 12 के किला नं० 4 व 5 की 1-1 बीघा, किला नं० 6 व 7 की 5-5  
 बिस्वा, कुल भूमि 5 बीघा कमाण्ड खातेदारी विक्रय की थी और 1981 से लेकर आज तक  
 काबिज खातेदार है उक्त भूमि मुताबिक बैयनामा वादी के कब्जा काशत में है और वादी  
 उसी बैयनामा के मुताबिक उक्त भूमि का अलग से खाता कायम करवाना चाहता है।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तदोपरान्त साक्ष्य ली जाकर  
 पत्रावली वहस हेतु रखी गई थी तदपश्चात तहसीलदार राजस्व भादरा को कमिश्नर  
 नियुक्त किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार राजस्व भादरा से  
 विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिस पर पक्षकारान को सुना गया है कोई एतराज/आपत्ति  
 प्रस्तुत नहीं होने के कारण पत्रावली अंतिम निर्णय हेतु रखी गई।

अतः : वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अंतिम डिक्री किया जाता है  
 तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी :-

1. धर्मेन्द्र कुमार वल्द हनुमान प्रसाद जाति कुम्हार सा० नेठराना खातेदार के हिस्सा में  
 आई कृषि भूमि : चक 7 बीएचडी के मु०नं० 11 के किला नं० 1 की 0.253 है०  
 किला नं० 2 की 0.253 है० किला नं० 9/1 की 0.063 है० किला नं० 10/1 की  
 0.064 है० मु०नं० 12 के किला नं० 4 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025  
 है० किला नं० 5 की 0.253 है० नहरी 0.202 है० खाला 0.051 है० किला नं० 6/1  
 की 0.063 है० नहरी 0.057 है० खाला 0.006 है० किला नं० 7/1 की 0.063 है०  
 किला 8 की 1.265 है० नहरी 1.183 है० गै०मु०खाला 0.082 है०

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
 भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

2. प्रयागचन्द वल्द जगनाराम 300 हि० कौम सुनार सा० भादरा गोपालकृष्ण, रमेशकुमार, भजनलाल पि० चुनीलाल 40 हिस्सा कौम ब्राह्मण, इन्द्रसिंह वल्द श्योचन्द 0.019 है० कौम कुम्हार सा० उतरादाबास सुभाषचन्द्र वल्द झिण्डुराम 0.3835 है० कौम यादव सा० चक भोजासर विरेन्द्र कौशिक वल्द अमरनाथ कौम ब्राह्मण सा० वार्ड नं० 15 भादरा महेन्द्र प्रताप वल्द रामसिंह जाति राजपूत सा० वार्ड नं० 20 भादरा 0.036 है० सरोज पत्नि सुनीलदत्त कौम ब्राह्मण सा० वार्ड नं० 14 भादरा 0.0195 है० मकसूदअली वल्द हाजी महबूब अली 60 हि० कौम कायमखानी सा० भादरा मालवी पत्नि हिरालाल कौम ब्राह्मण सा० नेठराना रामसिंह वल्द मेहरचन्द कौम जाट सा० छानीबडी गुलाब पत्नि शिवकुमार ब्राह्मण सा० गांधीबडी मायापति पत्नि राजेश ब्राह्मण सा० भोजासर सुनील कुमार वल्द दीपचन्द जाट सा० भोजासर 0.0975 है० कृष्णकुमार वल्द रामकुमार ब्राह्मण 0.0160 है० सा० नेठराना सुनीलकुमार वल्द नाथूराम खाती सा० उतरादाबास 0.0160 है० अरविन्द कुमार मुकेश पि० करणसिंह 0.0160 है० इन्दुबाला पत्नि राकेश ब्राह्मण 0.0520 है० सा० गांधीबडी बिशनाराम वल्द सुरजाराम स्वामी 0.0325 है० सा० बरवाली विरेन्द्रसिंह वल्द रामजीलाल जाट 0.0710 है० सा० चक चिड़ियागांधी खातेदार के हिस्से में आई कृषि भूमि : चक 7 बीएचडी मु० नं० 11 के किला नं० 9/2 की 0.190 है० किला नं० 10/2 की 0.189 है०, किला नं० 11, 12, 19 ता 22 की 1.518 है० नहरी मु० नं० 12 के किला नं० 6/2 की 0.190 है० जिसमें नहरी 0.171 है० खाला 0.019 है० किला नं० 7/2 की 0.190 है० किला नं० 14 की 0.253 है० किला नं० 15 की 0.253 है० जिसमें नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है० किला नं० 16 की 0.253 है० जिसमें नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है० किला नं० 17, 24 की 0.506 है० किला नं० 25 की 0.253 है० जिसमें नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है० मु० नं० 25 के किला नं० 4 की 0.253 है० नहरी 0.240 है० रास्ता 0.013 है० किला नं० 5 की 0.253 है० जिसमें नहरी 0.240 है० रास्ता 0.013 है० किला नं० 6, 7, 14, 15 की 1.012 है० नहरी मु० नं० 26 के किला नं० 1 की 0.253 है० जिसमें नहरी 0.240 है० रास्ता 0.013 है० किला नं० 10 की 0.253 है० किला 24 कुल क्षेत्रफल 5.819 है० नहरी 5.686 है० गै० मु० खाला 0.094 है० गैरमुमकिन रास्ता 0.039 है०

यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन बैंक यथावत् रखते हुए उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग अलग कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2011 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुखाराम पिण्डेल)  
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
भादरा (जिला हनुमानगढ़)  
उपखण्ड अधिकारी

भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.



प्रकरण सं० : 101/2016

अनवान :

1. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद जाति कुम्हार निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. गोपालकृष्ण
2. रमेश कुमार
3. भजनलाल
4. इन्द्रसिंह पुत्र श्योचन्द जाति कुम्हार निवासी उतरादाबास तहसील भादरा।
5. सुभाष चन्द पुत्र झीन्दूराम जाति यादव नि० चक भोजासर तहसील भादरा।
6. मकसूद अली पुत्र हाजी महबूब अली जाति कायमखानी नि० भादरा।
7. मालती पत्नी हीरालाल जाति ब्राह्मण नि० नेठराना तह० भादरा।
8. रामसिंह पुत्र मेहरचन्द जाति जाट नि० छानीबडी तहसील भादरा।
9. गुलाब पत्नी शिवकुमार जाति ब्राह्मण नि० गांधी बड़ी तह० भादरा।
10. मायापति पत्नी राजेश जाति ब्राह्मण नि० भोजासर तह० भादरा।
11. सुनिल कुमार पुत्र दीपचन्द जाति जाट नि० भोजासर तह० भादरा।
12. कृष्ण कुमार पुत्र रामकुवार जाति ब्राह्मण नि० नेठराना तह० भादरा।
13. सुनिल कुमार पुत्र नत्थूराम जाति खाती नि० उतरादाबास तह० भादरा।
14. अरविन्द कुमार
15. मुकेश कुमार
16. इन्दुबाला पत्नी राकेश जाति ब्राह्मण नि० गांधीबडी तहसील भादरा।
17. बिशनाराम पुत्र सुरजाराम जाति स्वामी नि० बरवाली तह० नोहर।
18. विरेन्द्रसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट नि० चक चिड़िया गांधी।
19. प्रयागचन्द पुत्र जगनाराम जाति सुनार नि० भादरा तहसील भादरा।
20. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद सिंगाठिया की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अंतिम डिक्री किया जाता है तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी :-

1. धर्मेन्द्र कुमार वल्द हनुमान प्रसाद जाति कुम्हार सा० नेठराना खातेदार के हिस्सा में आई कृषि भूमि : चक 7 बीएचडी के मु०नं० 11 के किला नं० 1 की 0.253 है० किला नं० 2 की 0.253 है० किला नं० 9/1 की 0.063 है० किला नं० 10/1 की 0.064 है० मु०नं० 12 के किला नं० 4 की 0.253 है० नहरी 0.228 है० खाला 0.025 है० किला नं० 5 की 0.253 है० नहरी 0.202 है० खाला 0.051 है० किला नं० 6/1

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

की 0.063 है0 नहरी 0.057 है0 खाला 0.006 है0 किला नं0 7/1 की 0.063 है0  
किता 8 की 1.265 है0 नहरी 1.183 है0 गै0मु0खाला 0.082 है0

2. प्रयागचन्द वल्द जगनाराम 300 हि0 कौम सुनार सा0 भादरा गोपालकृष्ण, रमेशकुमार, भजनलाल पि0 चुनीलाल 40 हिस्सा कौम ब्राह्मण, इन्द्रसिंह वल्द श्योचन्द 0.019 है0 कौम कुम्हार सा0 उत्तरादाबास सुभाषचन्द्र वल्द झिण्डुराम 0.3835 है0 कौम यादव सा0 चक भोजासर विरेन्द्र कौशिक वल्द अमरनाथ कौम ब्राह्मण सा0 वार्ड नं0 15 भादरा महेन्द्र प्रताप वल्द रामसिंह जाति राजपूत सा0 वार्ड नं0 20 भादरा 0.036 है0 सरोज पत्नि सुनीलदत्त कौम ब्राह्मण सा0 वार्ड नं0 14 भादरा 0.0195 है0 मकसूदअली वल्द हाजी महबूब अली 60 हि0 कौम कायमखानी सा0 भादरा मालवी पत्नि हिरालाल कौम ब्राह्मण सा0 नेठराना रामसिंह वल्द मेहरचन्द कौम जाट सा0 छानीबडी गुलाब पत्नि शिवकुमार ब्राह्मण सा0 गांधीबडी मायापति पत्नि राजेश ब्राह्मण सा0 भोजासर सुनील कुमार वल्द दीपचन्द जाट सा0 भोजासर 0.0975 है0 कृष्णकुमार वल्द रामकुमार ब्राह्मण 0.0160 है0 सा0 नेठराना सुनीलकुमार वल्द नाथूराम खाती सा0 उत्तरादाबास 0.0160 है0 अरविन्द कुमार मुकेश पि0 करणसिंह 0.0160 है0 इन्दुबाला पत्नि राकेश ब्राह्मण 0.0520 है0 सा0 गांधीबडी बिशनाराम वल्द सुरजाराम स्वामी 0.0325 है0 सा0 बरवाली विरेन्द्रसिंह वल्द रामजीलाल जाट 0.0710 है0 सा0 चक चिड़ियागांधी खातेदार के हिस्से में आई कृषि भूमि : चक 7 बीएचडी मु0नं0 11 के किला नं0 9/2 की 0.190 है0 किला नं0 10/2 की 0.189 है0, किला नं0 11, 12, 19 ता 22 की 1.518 है0 नहरी मु0नं0 12 के किला नं0 6/2 की 0.190 है0 जिसमें नहरी 0.171 है0 खाला 0.019 है0 किला नं0 7/2 की 0.190 है0 किला नं0 14 की 0.253 है0 किला नं0 15 की 0.253 है0 जिसमें नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0 किला नं0 16 की 0.253 है0 जिममें नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0 किला नं0 17, 24 की 0.506 है0 किला नं0 25 की 0.253 है0 जिसमें नहरी 0.228 है0 खाला 0.025 है0 मु0नं0 25 के किला नं0 4 की 0.253 है0 नहरी 0.240 है0 रास्ता 0.013 है0 किला नं0 5 की 0.253 है0 जिसमें नहरी 0.240 है0 रास्ता 0.013 है0 किला नं0 6, 7, 14, 15 की 1.012 है0 नहरी मु0नं0 26 के किला नं0 1 की 0.253 है0 जिसमें नहरी 0.240 है0 रास्ता 0.013 है0 किला नं0 10 की 0.253 है0 किता 24 कुल क्षेत्रफल 5.819 है0 नहरी 5.686 है0 गै0मु0खाला 0.094 है0 गैरमुमकिन रास्ता 0.039 है0

यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन बैंक यथावत् रखते हुए उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग अलग कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय से जारी की गई।



A  
5.8.19  
(सुखपस मिश्रकेरी) (राजस्व)  
भादरा (जिला हनुमानगढ़)  
उपखण्ड अधिकारी  
भादरा, जिला हनुमानगढ़